

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ।

की 56 वीं बैठक
दिनांक 16.2.2001
का कार्यवृत्त

आज दिनांक 16.
स प्राधिकरण के 3
कारियों की उपस्थिति

श्री सुभाष कुमार,

श्रीमती मनीषा पं

श्रीमती निवेदिता

श्री गिरिजा शंकर

श्री बृज बीरतन
विभाग, उत्तरांच

श्री गणेश जोशी

श्री बृज मोहन

श्री रूप सिंह

उपस्थिति:-

1. श्री विवेक
2. श्री आर0पं
3. श्री एस0सं

आज दिनांक 16.2.2001 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें सदस्यों एवं अधिकारियों की उपस्थिति निम्नानुसार रही :

| | | |
|----|---|-----------|
| 1. | श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढवाल मण्डल | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती मनीषा पंवार, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून वि०प्रा० | उपाध्यक्ष |
| 3. | श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा, जिलाधिकारी, देहरादून | सदस्य |
| 4. | श्री गिरिजा शंकर जोशी, प्रशासक, नगर निगम, देहरादून | सदस्य |
| 5. | श्री बृज बी०रतन, प्रभारी, नगर एवं ग्राम्य नियोजक विभाग, उत्तरांचल | सदस्य |
| 6. | श्री गणेश जोशी | सदस्य |
| 7. | श्री बृज मोहन | सदस्य |
| 8. | श्री रूप सिंह | सदस्य |

अन्य उपस्थिति:-

1. श्री विवेक वार्ष्णेय, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
2. श्री आर०पी० पसबोला, मुख्य लेखाधिकारी, म०दे०वि०प्रा०
3. श्री एस०सी० घिल्डियाल, मुख्य नगर नियोजक, म०दे०वि०प्रा०

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के सदस्यों का परिचय कराया गया तथा उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।

सर्व-प्रथम स्कूल आफ प्लानिंग, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के ले-आउट का प्रस्तुतीकरण किया गया। उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा योजना के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन किया गया। सदस्यों का सुझाव था कि ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के लिए वैकल्पिक मार्ग हेतु चन्द्रबनी वाली जिस सड़क को दिखाया गया है, वह वर्तमान में मौके पर बहुत संकरी है और इसको चौड़ा किए बिना इस सड़क का उपयोग उक्त योजना के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है। उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि इस सड़क को चौड़ा करने हेतु इस पर हुए अवैध अतिक्रमणों को विकास प्राधिकरण द्वारा हटाए जाने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित है और अतिक्रमणों को हटाने के उपरान्त सड़क का पुर्न-निर्माण करके विकास प्राधिकरण द्वारा इस सड़क का उपयोग ट्रान्सपोर्ट नगर के लिए एक अतिरिक्त मार्ग के रूप में किया जा सकता है। इसके लिए राजस्व विभाग के अभिलेखों में मार्ग की चौड़ाई को मौके पर नापकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

ट्रान्सपोर्ट नगर की योजना के प्रस्तुतीकरण को देखने के उपरान्त सदस्यों का मत यह भी था कि उक्त योजना के अर्न्तगत आर0एफ0सी0 गोदामों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप उन्हें भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाये। प्रभारी नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तरांचल द्वारा सुझाव दिया गया कि ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के अर्न्तगत एक आर्दश पार्किंग व्यवस्था करवाने के साथ-साथ गोदामों के लिए भी उचित स्थान आरक्षित किया जाये। इस पर आम सहमति से यह निर्णय लिया गया कि प्रभारी, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तरांचल द्वारा दिए गए उपरोक्त दोनों सुझावों का समावेश उक्त योजना के अर्न्तगत करा लिया जाये।

उपरोक्त विचार विचार-विर्मश के उपरान्त प्राधिकरण की गत बोर्ड बैठक दिनांक 12.6.2000 से सम्बन्धित प्रकरणों पर निम्नानुसार चर्चा हुई :-

प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 12.6.2000 की अनुपालन आख्या के बिन्दु संख्या-1 जो हरिद्वार सहारनपुर बाईपास रोड पर स्थित रिस्पना नदी के किनारे प्राधिकरण द्वारा ग्राम समाज से क्रय की गयी भूमि पर आश्रय योजना के भवन निर्माण के सम्बन्ध में है, पर चर्चा के दौरान प्रभारी, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तरांचल द्वारा एवं जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि इस बिन्दु पर गत बैठक में स्थल का विपरीत भूउपयोग होने के कारण पहले इस स्थल का भूउपयोग परिवर्तन कराने हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित करने का निर्णय हुआ था लेकिन बैठक की कार्यवाही बनाते समय इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में प्रकरण उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित किया गया था परन्तु उ0प्र0 शासन से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि चूँकि उक्त स्थल पर निर्माणाधीन भवन उत्तरांचल के सचिवालय के कर्मचारियों के लिए बनाए जा रहे हैं और इस हेतु विकास प्राधिकरण को शासन से धनराशि भी प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि विकास प्राधिकरण स्तर पर इस स्थल के भू उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव अब उत्तरांचल शासन को भी भेजा जा चुका है।

विस्तृत विचारोपरान्त प्रस्ताव में वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव का सर्व-सम्मति से अनुमोदन किया गया। आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों में शासन की पूर्वानुमति के बिना कार्यवाही न की जाए।

गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु सं०-2 जो ट्रान्सपोर्ट नगर के ले-आउट में प्रस्तावित 80 फुट चौड़े मुख्य मार्ग के मध्य आ रही श्री अहलूवालिया की भूमि के बदले ट्रान्सपोर्ट नगर में ही भूमि दिए जाने के सम्बन्ध में है। इस विषय पर चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रान्सपोर्ट नगर के लिए बनाए गए ले-आउट प्लान में जिस 80 फिट चौड़े मार्ग में श्री मंजीत सिंह आहलूवालिया का मकान व भूमि आ रही है, उसके बदले विकास प्राधिकरण द्वारा श्री आहलूवालिया को ट्रान्सपोर्ट नगर में भूमि के बदले भूमि देना तो प्रस्तावित है लेकिन श्री आहलूवालिया द्वारा इस भूमि पर भवन मानचित्र स्वीकृत करने के एवज में विकास शुल्क में छूट की मांग की गयी है। इस पर सदस्यों का मत था कि चूंकि नियमानुसार यह छूट अनुमन्य नहीं है परन्तु योजना की वर्तमान परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इसका तत्काल क्रियान्वयन आवश्यक है। उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में आम सहमति यह बनी कि यदि श्री आहलूवालिया की भूमि से सम्बन्धित यह प्रकरण हल नहीं किया जाता है तो इससे ट्रान्सपोर्ट नगर योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक बिलम्ब होगा। अतः सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री आहलूवालिया को भवन निर्माण मानचित्र की स्वीकृति के समय विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें विकास शुल्क में आधी छूट दे दी जाये। यह भी निर्देश दिए गए कि इस छूट को भविष्य के लिए किसी भी प्रकरण में नजीर नहीं बनाया जायेगा साथ ही उन्हें दी जा रही भूमि का उपयोग भी कन्वीनियन्ट शापिंग हेतु ही निर्धारित किया जाये।

गत बैठक की कार्यवाही का बिन्दु संख्या-17 जो आर्यन एजुकेशन सोसाईटी द्वारा कृषि हरित क्षेत्र में मालसी में प्राईमरी स्कूल के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में है, पर चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि यदि प्रश्नगत प्रकरण के अन्तर्गत आवेदक निर्धारित समय के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा नहीं करते हैं तो उनका मानचित्र अस्वीकृत कर दिया जाये और भविष्य में विकास प्राधिकरण कार्यालय स्तर पर इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाये तथा भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण परिचालन के माध्यम से बोर्ड से स्वीकृत न कराया जाये तथा उक्त स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जाये।

इसी बिन्दु पर चर्चा के दौरान सदस्य श्री गणेश जोशी द्वारा बोर्ड का ध्यान न्यू कैण्ट रोड पर भारतीय स्टेट बैंक के जोनल ऑफिस के कार्यालय निर्माण हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए गए भवन मानचित्र की ओर आकृषित करते हुए कहा गया कि प्रश्नगत सड़क एक वी०आई०पी० मार्ग है और यहां पर इस तरह के निर्माण की अनुमति दिए जाने से इस मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित होगा। इस पर अवगत कराया गया कि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग देहरादून महायोजना में आवासीय/व्यावसायिक दोनों ही है और आवेदक का जो भवन मानचित्र परिचालन से स्वीकृत किया गया है उस पर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क भी लिया गया है। इस प्रकार विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भवन मानचित्र प्राधिकरण उप नियमों के अनुरूप ही स्वीकृत किया गया है। इस पर अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिए गए कि इस प्रकरण का पुनः परीक्षण करते हुए उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पत्रावली अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

इसी बिन्दु पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि भविष्य में विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक तीन माह के अन्तराल पर अवश्य हो जानी चाहिए। इस हेतु उन्होंने उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उपरोक्त विचार-विमर्श के उपरान्त विकास प्राधिकरण की गत बोर्ड बैठक दिनांक 12.6.2000 की कार्यवाही की सर्व-सम्मति से पुष्टि की गयी।

विषय क्रमांक :- 01 ट्रांसपोर्ट नगर के ले-आउट की पुनः स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

स्कूल ऑफ प्लानिंग, नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए ले-आउट प्लान के प्रस्तुतीकरण का सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। आम सहमति यह थी कि देहरादून के उत्तरांचल की अस्थायी राजधानी बन जाने के कारण वर्तमान परिस्थियों में देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था एवं तत्सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण तत्काल आवश्यक हो गया है। विस्तृत विचारोपरान्त पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के निर्देश सहित ट्रांसपोर्ट नगर के ले-आउट की पुनः स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक :- 02 देहरादून विकास क्षेत्र हेतु संशोधित महायोजना तैयार किए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि गत बोर्ड बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग व रूडकी यूनिवर्सिटी से जानकारी की गयी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से इस सम्बन्ध में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ परन्तु रूडकी यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर द्वारा सर्वे हेतु रेट्स दिए गए थे जो पूर्व टेण्डर में प्राप्त रेट से अधिक थे। उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि देहरादून की उक्त संशोधित महायोजना तैयार किए जाने के सम्बन्ध में सर्वे कराने हेतु पूर्व में कई बार टेण्डर आमंत्रित किए जाने एवं उनके फाईनल न होने के कारण (अब तक प्राप्त टेण्डरों को अंतिम रूप न दिए जा पाने के कारण इस सम्बन्ध में) अनावश्यक बिलम्ब हुआ है। सर्वे कार्य हेतु प्राप्त टेण्डरों की दरें अधिक होने के कारण पूर्व अध्यक्ष की अनुमति से मई, 2000 में प्राप्त टेण्डर्स को खोलने का निर्णय लिया गया जिसमें मँ0 विकास इंजीनियर्स, गोरखपुर की दरों को न्यूनतम पाया गया है परन्तु इस पर अन्य टेण्डर दाताओं की आपत्ति के कारण पुनः टेण्डर मांगे गये जिसमें अंकन 293 रू0 प्रति हे0 की दर के सबसे कम रेट प्राप्त हुए हैं। टेण्डर समिति में प्राधिकरण अधिकारियों के अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग को भी रखा गया था लेकिन प्राधिकरण द्वारा अब यह प्रस्तावित किया गया है कि महायोजना के बेस मैप बनाने के कार्य को आई0 आई0 आर0 एस0 से सेटेलार्इट इमेजरी का भी इस्तेमाल करते हुए किया जाये लेकिन सेटेलार्इट इमेजरी से प्राप्त डाटाज को मौके पर कुछ क्षेत्रों में फिजीकल सर्वे के माध्यम से चैक कराने का कार्य उक्त न्यूनतम टेण्डर दाता मँ0 विकास इंजीनियर्स से आवश्यकतानुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौरान सर्वे कार्य हेतु रेट कम प्राप्त हो जाने की उम्मीद रखते हुए कुछ सदस्यों का मत था कि इस कार्य हेतु पुनः टेण्डर आमंत्रित कर लिए जायें। इस पर आम सहमति यह थी कि बार-बार टेण्डर मांगने से महायोजना पुनरीक्षण सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्य को सम्पादित कराने में अनावश्यक बिलम्ब होगा। अतः सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि महायोजना पुनरीक्षण सम्बन्धी उपरोक्त कार्य बेस मैप हेतु सेटेलार्इट इमेजरी से करा लिया जाये तथा इन डाटाज का आवश्यकतानुसार मौके पर सत्यापन कराने हेतु सर्वे का कार्य न्यूनतम टेण्डर दाता मँ0 विकास इंजीनियर्स से करा लिया जाये।

विषय क्रमांक:-03 विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 विकास परिषद की सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिए आदर्श मार्गदर्शक (गाईड लाईन्स के सम्बन्ध में)

उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक में गठित की गयी समिति जिसमें प्राधिकरण के अधिकारियों के अतिरिक्त नामित सदस्य श्री बृज मोहन भी थे, उन्होंने कौस्टिंग के लिए आदर्श मार्ग दर्शक सिद्धान्तों को स्वीकार करने की संस्तुति की है परन्तु

उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 का यह प्रस्ताव था कि मार्केट में अपनी सम्पत्ति को कम्पीटेटिव बनाने हेतु यह देखने की आवश्यकता है कि अनावश्यक रूप से सम्पत्ति का मूल्य न बढ़ाया जाए। अतः यह प्रस्ताव दिया गया कि :-

1. प्राधिकरण के अपने श्रोत्रों से खरीदी गयी भूमि पर 12 प्रतिशत ब्याज, ऋणदायी संस्था से ऋण प्राप्त कर खरीदी गयी भूमि पर ब्याज दर संस्था की दर + 01 प्रतिशत अतिरिक्त निर्धारित किया जाये।
2. सम्पत्ति के मूल्य में ओवर हैड 30 प्रतिशत के स्थान पर घटाकर 20 प्रतिशत ही रखा जाए जोकि अलग-अलग श्रेणियों के लिए निम्नानुसार होगा :-

एच0आई0जी0, एम0आई0जी0/एम0एम0आई0जी0 + 10 प्रतिशत कण्टीजेन्सी + 10 प्रतिशत ओवर हैड, एल0आई0जी0 श्रेणियों के लिए वास्तविक मूल्य, बेसिक मूल्य + 10 प्रतिशत कण्टीजेन्सी + 7.5 प्रतिशत ओवर हैड।

3. दुर्बल आय वर्ग एवं अन्य छोटी श्रेणियों जैसे आश्रय में बेसिक मूल्य + 10 प्रतिशत कण्टीजेन्सी + 5 प्रतिशत ओवर हैड। इसका औचित्य यह है कि वर्तमान में प्राधिकरण का अधिष्ठान व्यय अपनी आय का 15 से 20 प्रतिशत ही है। इसी के सापेक्ष में कौस्टिंग किया जाना व्यावहारिक है। इसी के साथ यह भी प्रस्ताव रखा गया कि जो सम्पत्ति अच्छी बिकती है उसका प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में वार्षिक रूप में मूल्य बढ़ाया जाये जोकि मोटे तौर पर वार्षिक प्राईस इन्डेक्स से लिंक रहना चाहिए। दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग श्रेणियों के लिए कुछ वर्षों तक भवन मूल्य की लागत को फ्रीज किए जाने का निर्णय समय-समय पर प्राधिकरण बोर्ड ले सकता है। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पर सहमति प्रदान की गयी

विषय क्रमांक :- 04 प्राधिकरण के लैण्ड बैंक हेतु एक मुश्त बल्क लैण्ड खरीदे जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण के लैण्ड बैंक हेतु एक मुश्त बल्क लैण्ड खरीदे जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों का मत था कि प्रस्ताव में वर्णित क्षेत्रों की उल्लिखित भूमि का गुण-दोष के आधार पर जांच कराकर इनकी उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इनके ठोस प्रस्ताव बना लिए जायें और योजना की फिजीविलिटी के साथ बल्क में भूमि खरीदने हेतु ठोस प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किए जाएं जिससे उस पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जा सके। योजनाएं ऐसी बनायी जाएं जो आगामी मास्टर प्लान में भी अपेक्षानुसार हों।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार लैण्ड बैंक हेतु भूमि क्रय करने हेतु ठोस प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किए जाएं।

विषय क्रमांक :- 05 ग्राम मेंहूवाला माफी शिमला रोड पर स्थित 200 बीघा भूमि खरीदे जाने के सम्बन्ध में।

शिमलारोड पर स्थित 200 बीघा भूमि खरीदे जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सदस्यों का मत था कि प्राइवेट नेगोशियेशन से भूमि खरीदने के लिये मूल्य तय करने हेतु शासन द्वारा गठित भूमि क्रय समिति के समक्ष पुनः इस प्रकरण को रखा जाये। भूमि क्रय समिति द्वारा तय किये

गये मूल्य के आधार पर उक्त भूमि को फेजेज में क्रय करने एवं क्रय भूमि पर आवश्यकतानुसार योजना बनाने तथा इस हेतु हडकों से उनकी विभिन्न शर्तों के तहत ऋण लेने तथा कामन सील के उपयोग के लिये सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।।

विषय क्रमांक : 6 राजपुर रोड पर मुख्य राजपुर में प्राधिकरण की प्रथम आवासीय योजना के साथ लगी लगभग 14 बीघा भूमि को खरीदे जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा हुई। आम सहमति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में शासन द्वारा प्राइवेट नेगोशिएशन से भूमि खरीदने के लिये मूल्य तय करने हेतु जो समिति गठित की गयी है उसी के समक्ष प्रस्तुत कर इस भूमि के मूल्य तय करा लिये जाये और तदनुसार भूमि क्रय करने हेतु उपाध्यक्ष-मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया तथा इस पर आवासीय योजना हेतु विभिन्न प्रयोजनों (भूमि क्रय सहित) के लिये हडको में उनकी शर्तों के तहत ऋण लेने एवं इसके लिए कामन सील के प्रयोग हेतु उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक :- 07 शिमला रोड के समीप प्रस्तावित शासकीय/अर्धशासकीय कार्यालय भूउपयोग की भूमि का जोनल प्लान बनाए जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों का मत था कि देहरादून उत्तरांचल की अस्थायी राजधानी बनने के कारण यहां निकट भविष्य में विभिन्न सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालय स्थापित होंगे और जैसा कि प्रस्ताव में वर्णित स्थलों का भूउपयोग देहरादून महायोजना में सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालय के भू-उपयोग हेतु आरक्षित है अतः सर्व-सम्मति से प्रस्ताव में वर्णित स्थलों का जोनल प्लान बनाए जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक :-08 देहरादून नगर में अन्तराज्य बस अड्डे की स्थापना संबंध में।

देहरादून नगर में अन्तराज्य बस अड्डे की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव की सभी सदस्यों द्वारा सराहना की गयी कि देहरादून नगर के उत्तरांचल राज्य की अस्थायी राजधानी बन जाने के कारण शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके गांधी रोड से संचालित हो रहे वर्तमान बस अड्डे का शहर में बढ़ते हुए यातायात को दृष्टिगत रखते हुए अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः आम सहमति प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह थी कि बाईपास रोड व सहारनपुर रोड के संग,म स्थल पर महायोजना में प्रस्तावित बस अड्डे की भूमि को अधिग्रहण करने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए। स्थल पर बस टर्मिनल की स्थापना हेतु व भूमि क्रय हेतु हडको से उनकी शर्तों के तहत ऋण आदि प्राप्त करने एवं कामन सील के प्रयोग हेतु सर्व-सम्मति से उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।

विषय क्रमांक:-09 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के बायलौज के संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों का मत था कि उ0प्र0 शासन द्वारा बनाए गए उक्त बायलौज देहरादून शहर की भौतिक/भौगोलिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक नहीं है अतः इनमें देहरादून की भौतिक एवं भौगोलिक स्थिति के अनुरूप संशोधन आवश्यक है! विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में विचार-विर्मश कर आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाए जिसके अध्यक्ष, प्रभारी, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तरांचल श्री बृज बी0रतन होंगे तथा समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार बनाए गए :-

1. श्री विवेक वार्ष्णेय, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
2. प्रशासक, नगर निगम, देहरादून ।
3. श्री बलदेव सिंह, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून ।

समिति से यह अपेक्षा की गयी कि वह एक माह में उपरोक्त के सम्बन्ध में परीक्षण कर अपनी आख्या उपलब्ध कराये। यह भी निर्देश दिए गए कि तब तक 01 नवम्बर, 2000 से पूर्व विकास प्राधिकरण में प्रचलित उप नियमों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

विषय क्रमांक :- 10 भवन मानचित्रों की स्वीकृति के समय भूकम्प रोधी तकनीक को लागू किए जाने के सम्बन्ध में ।

भवन मानचित्रों की स्वीकृति के समय भूकम्प रोधी तकनीक लागू किए जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि मानचित्रों की स्वीकृति के समय भूकम्प रोधी तकनीकी विकास प्राधिकरण में अपनाए जाने के सम्बन्ध में उनकी तथा श्री बृज बीरतन, प्रभारी, नगर एवं ग्राम्य नियोजक विभाग, उत्तरांचल की रूडकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से वार्ता हुई है और इस सम्बन्ध में विस्तृत डाफ्ट रूडकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डी०के०पौल की सहायता से तैयार कराया जा रहा है। सदस्यों का मत था कि प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप भवन मानचित्रों की स्वीकृति के समय भूकम्प रोधी तकनीक को तत्काल लागू किए जाने की व्यवस्था विकास प्राधिकरण स्तर पर प्रारम्भ कर दी जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि जो भवन बन चुके हैं उनमें हेल्थ सर्टीफिकेशन लागू करने की कार्यवाही की जाये और इस हेतु पहले ऐसे भवनों पर कार्यवाही शुरू कराई जाएं जहां पर पब्लिक मीटिंग अधिक हों जैसे, स्कूल बिल्डिंग, होटल्स, सिनेमाघर, शापिंग काम्प्लेक्स, बारात घरों तथा सामुदायिक केन्द्र इत्यादि। इसे क्रियान्वित करने हेतु कम्प्लीशन सर्टीफिकेट की व्यवस्था अनिवार्य रूप लागू की जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि इसे सर्व-प्रथम पब्लिक मीटिंग वाले स्थानों पर लागू की जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि भूकम्प रोधी तकनीकी के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हेतु विकास प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों को सी०बी०आर०आई०, रूडकी के स्टाफ से प्रशिक्षित कराया जाये।

विषय क्रमांक:-11 व्यावसायिक काम्प्लेक्स के निर्माणकर्ता को प्राधिकरण से कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लिए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत विचारोपरान्त व्यावसायिक काम्प्लेक्सों के निर्माण के उपरान्त उन कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लिए जाने की व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया। यह भी निर्देश दिए गए कि ऐसे सभी काम्प्लेक्सों की सघन जांच भी 15 दिन में करा ली जाये क्योंकि कुछ सदस्यों का मत था कि कई भवनों में शमन के बाद भी काफी कवर्ड एरिया अभी अनधिकृत रूप में बना हुआ है। व्यावसायिक काम्प्लेक्सों के विषय में यह भी निर्णय लिया गया कि तत्काल प्रभाव से बेसमेण्ट पार्किंग में शमन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाये चूंकि दीर्घकाल से इससे शहर को नुकसान हो रहा है। इस निर्णय का समावेश आगामी बाईलौज में कर लिया जाये क्रियान्वयन तत्काल किए जाने के निर्देश भी दिए गए।

16.2.07

विषय क्रमांक :- 12 देहरादून महायोजना के अर्न्तगत ग्रामीण बन्दोबस्ती आवादी के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।

100 मीटर बन्दोबस्ती प्रमाण पत्र के स्थान पर क्या व्यवस्था अपनाई जाए यह बहुत स्पष्ट नहीं है। प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, श्री बी0बी0 रतन ने बताया कि आगामी मास्टर प्लान में इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देते हुए व्यवस्था निश्चित रूप से की जायेगी। तब तक जिन क्षेत्रों में अनधिकृत प्लानिंग की समस्या हो रही है वहां जोनल प्लान बनाने पर प्राधिकरण विचार करके उन्हें अवगत करा दें। बोर्ड ने इसके अनुसार ही कार्यवाही का प्रस्ताव किया।

विषय क्रमांक :- 13 देहरादून विकास क्षेत्र के अर्न्तगत निर्मित बारातघरों के सम्बन्ध में।

विकास क्षेत्र के अर्न्तगत निर्मित बारातघरों के नियमितीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि विकास क्षेत्र के अर्न्तगत लगभग 23 बारातघर ऐसे बने हैं जो विकास प्राधिकरण से अनुमोदित नहीं है। यह भी अवगत कराया गया कि कुछ बारातघर ऐसे क्षेत्रों में भी निर्मित हैं जहां का भू-उपयोग आवासीय है। प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तरांचल द्वारा अवगत कराया गया कि सर्व-प्रथम बारात घरों के लिए बायलौज बनाने होंगे जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है और यह मण्डप के कान्सेट पर होंगे।

विस्तृत विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के गठन के बाद प्राधिकरण की अनुमति के बिना बने व्यासायिक भू-उपयोगों में ऐसे बारातघरों के शमन की कार्यवाही की जाये जो बाईलौज के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप शमन योग्य हों तथा जिनमें पार्किंग इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था की गयी हों। यह भी निर्देश दिए गए कि जिन बारातघरों के स्वामियों द्वारा उनको नियमित करने की कार्यवाही में सहयोग नहीं दिया जाता है, ऐसे बारातघरों को तत्काल सील करने की कार्यवाही भी विकास प्राधिकरण स्तर पर प्रारम्भ कर दी जाये। आवासीय क्षेत्रों में बारातघरों को शमन न किया जाये तथा भविष्य में स्वीकृति न दी जाये।

विषय क्रमांक :- 14 राजपुर रोड ग्राम जाखन स्थित भागीरथी पुरम इंजीनियर्स एन्कलेव फेज-4 एवं पर्वतीय अल्प वेतन भोगी कर्मचारी आवास समिति के तलपट मानचित्रों के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित तलपट मानचित्र विकास प्राधिकरण से पूर्व में स्वीकृत था और इस तलपट मानचित्र की वैधता समाप्त हो चुकी है। सम्बन्धित क्षेत्र के आवेदकों द्वारा बार-बार विकास प्राधिकरण में अपने भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में आवेदन किया जा रहा है। संबंधित कालोनाईजर को ले आउट रि-वैलीडेट कराने हेतु सूचित किया गया था परन्तु उनके द्वारा ले आउट रि-वैलीडेट कराने की कार्यवाही अब तक नहीं की गयी है। जिससे सम्बन्धित भूमि पर भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं।

विचारोपरान्त भागीरथी पुरम, इंजीनियर्स एन्कलेव फेज-4 के सम्बन्ध में सदस्यों का मत था कि प्रस्ताव के अनुरूप पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र के अनुरूप जिन स्थानों पर पार्क या हरित क्षेत्र छोड़े गए हैं उन्हें यथावत रखते हुए उक्त कालोनी के भवन मानचित्र स्वीकृत कर दिए जाएं तथा कालोनी के अवशेष विकास कार्यों को मदेद्वनजर रखते हुए मानचित्र स्वीकृत करते समय सम्बन्धित आवेदकों से प्रो-रेटा आधार पर विकास शुल्क ले लिया जाये।

16.2.2001

इसी बिन्दु पर विचार-विमर्श के दौरान बोर्ड द्वारा यह निर्णय भी पारित किया गया कि जिन क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तक भवन मानचित्र पूर्व में विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं और वहां का तलपट मानचित्र स्वीकृत नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार ही विकास शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृत किए जाएं। पर्वतीय वेतन भोगी समिति के क्षेत्र को देखते हुए निर्धारित हो जाये कि वह कौन सी श्रेणी में आते हैं तदनुसार निर्णय ले लिया जाये।

विषय क्रमांक :- 15 भू-उपयोग उद्यान में जमा किए गए मानचित्रों की स्वीकृति विषयक ।

प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रश्नगत स्थल को उद्यान के लिए आरक्षित किया जाना अब सम्भव नहीं है अतः विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों के अनुरूप बन्दोबस्ती आवादी को आधार मानते हुए इस स्थल पर प्रस्तावित उक्त दोनों भवन मानचित्रों को स्वीकृत कर दिए जाएं तथा स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को भी सूचित कर दिया जाये।

विषय क्रमांक :- 16 श्रीमती निशी सेठ द्वारा अजबपुरकलां के ख0न0-203 पर प्रस्तुत मानचित्र स0-1600 /99-2000 के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अवगत कराया गया कि इस स्थल के आसपास अधिक संख्या में भवन निर्माण कार्य हो चुका है तथा प्रश्नगत स्थल पर ही पूर्व में विकास प्राधिकरण स्तर से भवन मानचित्र स्वीकृत भी किए जा चुके हैं। प्रस्ताव में वर्णित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आम सहमति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत मानचित्र स्वीकृत करते हुए विकास प्राधिकरण द्वारा रिस्पना नदी के किनारे जिस भूमि पर सचिवालय कर्मचारियों के लिए भवन निर्माणाधीन हैं उसका भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है अतः निर्देश दिए गए कि इस प्रकरण को भी उसी प्रस्ताव के समान भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को संदर्भित कर दिया जाये।

विषय क्रमांक :- 17 बहुउद्देशीय क्रीडा हाल के निर्माण हेतु जिला क्रीडा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या-1939/2000-2001 की स्वीकृति के सम्बन्ध में

प्राधिकरण उप नियमों के अनुरूप मानचित्र का परीक्षण कराकर उसकी स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु उपाध्यक्ष, म0दे0वि0प्रा0 को अधिकृत किया गया

विषय क्रमांक :- 18 मै0 एमेट्री एम्यूजमेण्ट लि0 द्वारा 103 राजपुर रोड पर मल्टी प्लैक्स के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जिलाधिकारी, देहरादून का मत था कि प्रश्नगत स्थल मुख्य मसूरी मार्ग पर स्थित है और यहां पर मल्टी प्लैक्स के निर्माण की अनुमति दिए जाने से टैफिक इत्यादि की समस्या हमेशा ही बनी रहेगी अतः इस दृष्टि से प्रश्नगत स्थल पर इस प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथापि आम सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण पर दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु इसे शासन को संदर्भित कर दिया जाये । यह भी बताया गया कि औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश पर शासन के ही आवास विभाग का क्या दृष्टिकोण है, इसके लिए भी

16.2.01

प्रकरण को शासन को संदर्भित करने के निर्देश दिए गए तथा यह भी निर्देश हुए कि शासन से दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त तदनुसार अग्रिम कार्यवाही विकास प्राधिकरण स्तर से अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त करके की जाये।

विषय क्रमांक :-19 स्वैच्छिक शमन योजना के अर्न्तगत वाद संख्या-सी-249/एस-6/99 को शमनित किए जाने के सम्बन्ध ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त आम सहमति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण के अर्न्तगत आवेदक द्वारा पूर्व निर्मित भवन में कुछ नव निर्माण करके आवासीय क्षेत्र के अर्न्तगत इन्स्टीयूट संचालित किया जा रहा है अतः इनसे व्यावसायिक दर पर वांछित शुल्क लेकर प्रकरण को शमनित कर दिया जाये।

विषय क्रमांक :-20 मोरेवियन टस्ट द्वारा आवासीय क्षेत्र मौजा ढाक पट्टी में प्रस्तुत चर्च के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक :-21 डालनवाला योजना में अधूरे बने 76 एम0 आई0 जी0 भवनों को पूरा करने की अनुमति पर विचार।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों का मत था कि इन भवनों को विकास प्राधिकरण इसी स्थिति में बेचने हेतु कार्यवाही की जाए। इस पर बोर्ड को अवगत कराया गया कि डालनवाला योजना के अर्न्तगत भवनों की मांग अच्छी है और विकास प्राधिकरण द्वारा यदि इन भवनों का कार्य पूर्ण कराकर इन्हें बेचा जाता है तो निश्चित रूप से विकास प्राधिकरण के हित में होगा।

विचारोपरान्त आम सहमति यह थी कि पहले इन भवनों में बेसिक अवस्थापना सुविधा देकर इनकी कीमत संशोधित करते हुए इन्हें वर्तमान अवस्था में ही बेचने का प्रयास किया जाए और यदि इस विधि से भवन नहीं बिकते हैं तो तब इन्हें इनमें आवश्यक मरम्मत इत्यादि कराकर शीघ्र बेचने का प्रयास किया जायें ।

विषय क्रमांक :- 22 तहसीलदार/नायब तहसीलदार को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में भूमि सम्बन्धी कार्य हेतु संविदा पर रखे जाने सम्बन्धी ।

प्राधिकरण के कार्य विस्तार को देखते हुए 5000/- प्रति माह संविदा पर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार को रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक :-23 श्रीमती सीमा सिंह, उप सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को चिकित्सा व्यय की प्रति पूर्ति किए जाने एवं व्यय के अनुरूप बजट मद में संशोधन किए जाने के सम्बन्ध में ।

विचारोपरान्त श्रीमती सीमा सिंह, उप सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को चिकित्सा व्यय की प्रति पूर्ति किए जाने एवं व्यय के अनुरूप बजट के संशोधन संबंधी प्रस्ताव सर्व-सम्मति से अनुमोदित किया गया। यह भी निर्देश दिए गए कि चिकित्सा व्यय की प्रति पूर्ति पी0जी0आई0 लखनऊ से सत्यापित बिलों/प्राप्त रेट एवं तत्संगत शासनादेशों के अनुरूप ही की जाए।

विषय क्रमांक :-24 नजूल भूखण्ड संख्या-285 के भाग में स्थित इंदिरा मार्के का भू उपयोग आवासीय से व्यावसायिक करने के सम्बन्ध में ।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा के उपरान्त प्रश्नगत स्थल को सु-नियोजित रूप से विकसित किए जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नजूल भूखण्ड संख्या-285 के भाग के भू-उपयोग को आवासीय से व्यावसायिक में परिवर्तित करने का निर्णय सर्व-सम्मति से लिया गया। यह भी निर्देश दिए गए कि भू-उपयोग सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाए।

अनुपूरक विषय क्रमांक :-01 ग्राम कांवली में कालिन्दी एन्कलेव की भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सदस्यों का मत था कि इस क्षेत्र के आसपास बहुत अधिक संख्या में भवन निर्माण के कार्य हो चुके हैं और स्थल की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अब इस भूमि का उपयोग सरकारी/अर्धसरकारी कार्यालय उपयोग में लाया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त कालोनी में भूखण्ड धारकों के भवन निर्माण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कालिन्दी एन्कलेव की भूमि का भूउपयोग कार्यालय से आवासीय मध्यम धनत्व में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का सर्व-सम्मति से अनुमोदन करते हुए भूउपयोग परिवर्तन हेतु इसे शासन को संदर्भित करने के निर्देश दिए गए और उस पर स्वीकृति प्राप्त होने पर इस स्थल व प्रस्ताव में वर्णित भूखण्डों पर प्रो-रेटा बेसिस पर शुल्क लेकर मानचित्रों पर स्वीकृति देने का भी निर्णय लिया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांक :-02 केदारपुरम ग्राम समाज की भूमि पर 100 आशय योजना के भवनों के ले-आउट के सम्बन्ध में ।

५ योजना (नई) चर्चा हुई।
विचारोपरान्त भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्ताव शासन को संदर्भित करने का निर्णय सर्व-सम्मति से लिया गया।

अनुपूरक विषय क्रमांक :-03 श्री सनातन धर्म धर्मार्थ समिति द्वारा स्कूल भवन के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र संख्या-979/2000-2001 के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा हुई। आम सहमति से निर्णय लिया गया कि विकास प्राधिकरण में निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण कराते हुए मानचित्र संख्या-979/2000-2001 को स्वीकृति प्रदान कर दी जाए!

अनुपूरक विषय क्रमांक :-04 सहारनपुर हरिद्वार बाईपास पर प्राधिकरण की रिस्पनापुरम आवासीय योजना के ले-आउट की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त योजना के ले-आउट को सर्व-सम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए यह निर्देश दिए गए कि उक्त स्थल के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन को संदर्भित कर दिया जाये।

अनुपूरक विषय क्रमांक :-05 राजपुर क्षेत्र में एक सुन्दर सिटी पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव ।

प्रस्तुत प्रस्ताव का विचारोपरान्त सर्व-सम्मति से अनुमोदन किया गया। सदस्यों का मत था कि पार्क के उचित रखरखाव हेतु धन इत्यादि की व्यवस्था के लिए इस पर प्रवेश हेतु टिकट प्रणाली


866

प्रा


- 1.
- 2
- 3
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- ✓12.
- 13.
- 14.
- 15.

भी लागू की जाये। प्रशासक नगर निगम तथा उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण आपसी सहमति से व्यवस्था बना लें।

अन्त में उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित सभी मा0 सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समाप्त की गयी।


11/3/2001

(मनीषा पंवार)
उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।


11/3/2001

(सुभाष कुमार)
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल,
कैम्प देहरादून।